विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 2016–17 के दौरान की गई निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा में प्रकाश में आई प्रमुख आपत्तियां शामिल हैं। प्रतिवेदन की संरचना में तीन अध्याय हैं। पहले अध्याय में लेखापरीक्षित इकाइयों के बारे में सामान्य जानकारी, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शासन की प्रतिक्रिया का उल्लेख है। प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में, 'ओंकारेश्वर सागर परियोजना (नहरें) का निर्माण' की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। तीसरे अध्याय में 'पेंच व्यपवर्तन परियोजना का निर्माण' विषय पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा कण्डिका एवं आठ लेखापरीक्षा कण्डिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल मौद्रिक मूल्य ₹ 572.27 करोड़ है जिसमें प्रणालीगत कमियों, अनियमित व्यय, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, इत्यादि के प्रकरण शामिल हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। लेखापरीक्षा नमूने सांख्यिकीय नमूनों के आधार पर लिए गए हैं। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा विधि प्रत्येक निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा में दर्शाई गई है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष और अनुशंसाएं शासन के विचारों को ध्यान में रखकर दी गई हैं। मुख्य लेखापरीक्षा जाँच परिणाम का सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

1. निष्पादन लेखापरीक्षा

ओंकारेश्वर सागर परियोजना (नहरें) का निर्माण

ओंकारेश्वर सागर परियोजना (ओ.एस.पी.) की नहर–प्रणाली का उद्देश्य धार, खरगोन और खण्डवा जिलों के 1.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करना था। ओ.एस.पी. (नहरें) में कॉमन वाटर कैरियर, बायीं तट नहर (एल.बी.सी.), दायीं तट नहर (आर.बी.सी) ओंकारेश्वर दायीं तट उत्थान नहर (ओ.आर.बी.एल.सी.) सहित 362.88 कि.मी. लम्बी मुख्य नहरें एवं 1,670.64 कि.मी. की वितरण नहरें सम्मिलित हैं। परियोजना को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन.वी.डी.ए.) द्वारा निष्पादित किया गया है, जो कि नर्मदा घाटी विकास विभाग (एन.वी.डी.डी.) के अंतर्गत है।

परियोजना को चार चरणों में लिया गया था। नहरों के निर्माण के लिए चरणवार टर्नकी ठेकों का निष्पादन, मई 2006 और मार्च 2011 के मध्य अंतिम चरण हेतु मार्च 2014 तक की कार्यपूर्णता–अवधि सहित किया गया था। ओ.एस.पी. (नहरें) के निर्माण पर मार्च 2017 तक ₹ 3,076.51 करोड़ का व्यय किया जा चुका था एवं इनमें से कोई भी चरण पूर्ण नहीं हुए थे। 'ओ.एस.पी. (नहरें) का निर्माण' पर 2012–13 से 2016–17 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

परियोजना की आयोजना एवं कार्यान्वयन

नहरों के निर्माण कार्य सभी चरणों में समुचित निगरानी के अभाव, भूमि–अधिग्रहण में विलंब और ठेकेदारों द्वारा कार्यों के निष्पादन की धीमी प्रगति के कारण विलंबित हुए थे। ठेकेदारों पर धीमी प्रगति के लिए उनकी जिम्मेदारी के लिए ₹ 85.68 करोड़ के दण्ड अधिरोपित नहीं किए गए/वसूले गए थे। एन.वी.डी.ए. ने धीमी प्रगति के लिए किसी भी ठेके को रद्द करने और कार्यों के लिए पुनः निविदा–आमंत्रण की कार्रवाई भी नहीं की थी।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. को ओ.एस.पी. (नहरें) में विलंब के समस्त प्रकरणों का पुनरावलोकन कर ठेकेदारों की जवाबदेही तय करना चाहिए और टर्न–की ठेकों के प्रावधानों के अनुरूप शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए। एन.वी.डी.डी. को विलंब के समस्त प्रकरणों का पुनरावलोकन कर ठेकों के प्रावधानों व उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार क्रमशः सी.ई. तथा ई.ई. पर विलंब हेतु शास्ति अधिरोपित न करने के लिए जवाबदेही भी तय करना चाहिए। एन.वी.डी.डी. को प्रत्येक टर्नकी ठेके के अंतर्गत कार्य की प्रगति पर फील्ड इंजीनियरों द्वारा समुचित निगरानी सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ओ.एस.पी. (नहरें) की कार्यपूर्णता हेतु पुनरीक्षित लक्ष्य के अंतर्गत सम्पूर्ण नहर प्रणाली पूर्ण की जा सके।

(कण्डिका 2.1.7.1)

1.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के लक्ष्य के विरूद्ध मार्च 2017 तक, मुख्य नहरों के 96.46 प्रतिशत और वितरण–प्रणाली के 88.60 प्रतिशत निर्माण द्वारा 1.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। हालांकि, अपूर्ण वितरण–नेटवर्क और कमान–क्षेत्र विकास (सी.ए.डी.) में विलंब के साथ–साथ ओंकारेश्वर बांध में पानी की कमी के कारण बनाई गई सिंचाई क्षमता में से उपयोगशील भाग में 66,707 हेक्टेयर (52 प्रतिशत) की कमी थी। नहरों की कमान में मैदानी चैनलों के विकास के लिए ओ.एस.पी. (नहरें) और सी.ए.डी. कार्यों का क्रियान्वयन एक साथ नहीं किया गया था। इसलिए, विकसित तथा उपयोगित सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम नहीं किया जा सका।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. को सी.ए.डी. कार्यों का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए, विशेष रूप से उन कमानों में जहाँ सिंचाई क्षमता बनाई तो गई किन्तु अनुपयोगित रही, ताकि नहरों में पानी की उपलब्धता का लाभ किसानों तक न्यूनतम समय में पहुँच सके।

(कण्डिकाएं 2.1.7.2 एवं 2.1.7.3)

ओ.आर.बी.एल.सी. की चक योजना भूमि–अधिग्रहण के पूर्व नहीं की गई थी, जैसा कि मध्यप्रदेश निर्माण विभाग (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) नियमावली के अंतर्गत आवश्यक है। इसके कारण भूमिगत पाइप नहर के लिए 207 हेक्टेयर के अधिग्रहण पर ₹ 22.43 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. को भूमि–अधिग्रहण की मात्रा के आंकलन हेतु एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने के लिए जबाबदेही तय करना चाहिए, जिसके कारण ओ.आर.बी.एल.सी. हेतु भूमि–अधिग्रहण पर परिहार्य व्यय हुआ।

(कण्डिका 2.1.7.5)

ठेका प्रबंधन

चरण–I एवं चरण–II के अंतर्गत नहरों के निर्माण के लिए टर्नकी ठेकेदारों को उप–ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य के मूल्य से ₹ 60.17 करोड़ अधिक भुगतान किया गया। ये अधिक भुगतान ठेकेदारों को ऋण के रूप में मान लिए गए थे और बाद में

₹ 55.58 करोड़ का समायोजन अनियमित रूप से सुरक्षा जमाओं और अमान्य मूल्य वृद्धियों के विरूद्ध किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ई.ई. सीधे उन उप–ठेकेदारों से सम्पर्क कर रहे थे जो कि शासन द्वारा ठेकेदारों के साथ निष्पादित ठेके के पक्षकार नहीं थे। सम्पूर्ण लेन–देन संगत ठेकों के निबंधन एवं शर्तों के साथ–साथ संहितीय प्रावधानों से परे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं था। यद्यपि, एन.वी.डी.ए. सम्पूर्ण प्रकरण से अवगत था, फिर भी उसने शासन के आवश्यक अनुमोदन के बिना ही उप–ठेकेदारों के लिए भुगतान प्रबन्धों को अनुमति देना जारी रखा।

अनुशंसा

सतर्कता के दृष्टिकोण से एन.वी.डी.डी. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उप–ठेकेदारों को भुगतानों की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। एन.वी.डी.डी. अनुबंधों के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए सुरक्षा जमा के अनियमित समायोजन और ठेकेदारों को मूल्य–समायोजन के भुगतान के लिए ज़िम्मेदारी भी तय कर सकता है। अधिक भुगतान ठेकेदारों से वसूल किया जा सकता है।

(कण्डिका 2.1.8.1)

अपर्याप्त ठेका प्रबंधन के परिणामस्वरूप मूल्य समायोजन का अनियमित भुगतान (₹ 101.18 करोड़), बैंक गारंटी के विरूद्ध सुरक्षा जमा की अनियमित वापसी (₹ 34.52 करोड़), अनुमोदित भुगतान अनुसूची के परे ठेकेदारों को अनियमित भुगतान (₹ 6.30 करोड़) और टर्नकी ठेके के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यों पर एन.वी.डी.ए. द्वारा अनधिकृत अतिरिक्त व्यय (₹ 1.28 करोड़) हुआ।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. ठेकेदारों से अधिक भुगतान की राशि वसूल करे और सतर्कता के दृष्टिकोण से ठेकेदारों को मूल्य समायोजन के अनियमित भुगतान का परीक्षण करे। एन.वी.डी.डी. को सतर्कता के दृष्टिकोण से बैंक गारंटी के विरूद्ध सुरक्षा जमा की अनियमित वापसी की जाँच करनी चाहिए। एन.वी.डी.डी. को अनुबंधों के अंतर्गत भुगतान अनुसूची के उल्लंघन में ठेकेदारों को अनियमित भुगतान हेतु ज़िम्मेदारी तय करते हुए सतर्कता के दृष्टिकोण से इन अनियमित भुगतानों का परीक्षण करना चाहिए।

(कण्डिकाएं 2.1.8.1 से 2.1.8.5)

नहरों का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बावजूद, अनुबंध के अंतर्गत आवश्यक होने पर भी ओ.एस.पी. (नहरें) के किसी भी चरण में टर्नकी ठेकेदारों ने वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया। एस.ई. ने ठेकेदार द्वारा वृक्षारोपण और वितरण–नेटवर्क में अन्य अपूर्ण कार्यों को कराना सुनिश्चित किए बिना चरण–IV (समूह–I) के लिए कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया था।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. को सभी मुख्य नहरों और वितरिकाओं के तटों पर ठेकेदारों द्वारा वृक्षारोपण सुनिश्चित करना चाहिए, जिसकी प्रविष्टि माप–पुस्तिका में भी होनी चाहिए। एन.वी.डी.डी. को ठेकेदार द्वारा समस्त संविदात्मक बाध्यताओं की पूर्ति किए बिना ही उसको चरण–IV (समूह–I) के लिए कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु ज़िम्मेदारी तय करना चाहिए।

(कण्डिकाएं 2.1.8.7 एवं 2.1.8.8)

निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण

नहर कार्यों का गुणवत्ता नियंत्रण अपर्याप्त था। कोपिंग, जो कि नहर की लाइनिंग के तल में पानी के प्रवेश को रोकती है, निम्नस्तरीय थी। लेखापरीक्षा ने ऐसे प्रकरण देखे जहाँ सीमेन्ट–काँक्रीट लाइनिंग की संपीडन क्षमता के जाँच–परिणाम और अन्य हाइड्रॉलिक संरचनाएं निर्धारित मानदण्डों से निम्नस्तरीय थे। नहर लाइनिंग में टूट–फूट और दरारें भी देखी गई थीं। हालांकि, इन अवमानक कार्यों में सुधार हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

अनुशंसा

एन.वी.डी.डी. को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी त्रुटिपूर्ण नहर कार्यों को तत्काल सुधरवा लिया जाए, ताकि यह नहरों की मजबूती और संबंधित हाइड्रॉलिक संरचनाओं को प्रभावित न करे।

(कण्डिका 2.1.9)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा

(i) पेंच व्यपवर्तन परियोजना का निर्माण

मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) ने पेंच व्यपवर्तन परियोजना को कार्यान्वित किया। परियोजना सिंचाई की सुविधा प्रदान करने, ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए पानी और छिंदवाड़ा व सिवनी जिलों में जल प्रदाय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। योजना आयोग ने अप्रैल 2006 में राज्य आयोजना के अंतर्गत ₹ 583.40 करोड़ के निवेश की परियोजना को अनुमोदित किया। परियोजना को वर्ष 2007–08 में, मार्च 2012 में कार्यपूर्णता की तिथि के साथ केंद्रीय सहायता के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत भी शामिल किया गया था। सितम्बर 2017 तक, परियोजना पर ₹ 1,978.24 करोड़ व्यय किया गया था और अवधि 2019–20 के दौरान इसकी पूर्णता पुनर्निर्धारित की गई थी।

इस प्रतिवेदन के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने 2012–13 से 2016–17 तक की अवधि के लिए डब्ल्यू.आर.डी. और इससे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में 'पेंच व्यपवर्तन परियोजना का निर्माण' के अभिलेखों का परीक्षण किया। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

परियोजना का वित्तपोषण

भारत सरकार को वांछित जानकारी प्रदान करने में डब्ल्यू.आर.डी. के दायित्व पर विलंब के कारण वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान परियोजना को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार, 2012–13 से 2016–17 के दौरान परियोजना पर ₹ 1,679.70 करोड़ के कुल व्यय में से ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत आनुपातिक केन्द्रीय सहायता की राशि ₹ 419.92 करोड़ जारी कराना डब्ल्यू.आर.डी. द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(कण्डिका 3.1.2)

परियोजना का कार्यान्वयन

पेंच व्यपवर्तन परियोजना का बाँध का कार्य नवम्बर 2017 तक पूर्ण हो गया था। हालांकि, भूमि–अधिग्रहण में विलंब और ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति के कारण नहर–प्रणाली अपूर्ण रही। भूमि–अधिग्रहण, जो कि अनिवार्य रूप से एक वैधानिक प्रक्रिया थी, टर्नकी अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदारों को सौंपी गई थी जिन्होंने भूमि–अधिग्रहण के प्रस्ताव बनाने में देरी की।

नहर निर्माण के लिए छः में से तीन ठेके अंततः अगस्त 2017 और दिसम्बर 2017 में रद्द कर दिए गए थे। इनमें से, अधीक्षण यंत्री ने धमनिया एवं पश्च–वितरिका के निर्माण के लिए ठेके का रद्दीकरण आदेश अनधिकृत रूप से वापस किया था (जनवरी 2018)। क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों (मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री) ने विलंब के कारणों का समुचित विश्लेषण किए बिना ठेकेदारों के प्रति लचीला रवैया अपनाया और समयवृद्धियाँ मंजूर कीं। विलंब हेतु उत्तरदायी ठेकेदारों पर ₹ 41.35 करोड़ की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई थी।

अनुशंसा

डब्ल्यू.आर.डी. को नहर के निर्माण में विलंब के समस्त प्रकरणों का पुनरीक्षण कर ठेकेदारों की जवाबदेही तय करना चाहिए और अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए। डब्ल्यू.आर.डी. को विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने/शास्ति के अधिरोपण में असफलता के सभी मामलों का भी पुनरीक्षण, उन पर समुचित विभागीय कार्रवाई हेतु करना चाहिए। डब्ल्यू.आर.डी. को सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण से धमनिया और पश्च–वितरिका के निर्माण में ठेके के निरस्तीकरण आदेश के अनियमित निरसन को भी पुनरीक्षित करना चाहिए।

(कण्डिकाएं 3.1.3 एवं 3.1.3.1)

मार्च 2017 तक मुख्य नहरों के निर्माण की भौतिक प्रगति 81 प्रतिशत थी, जबकि वितरण प्रणाली का केवल 32 प्रतिशत पूरा किया जा सका था। वितरण नेटवर्क के निर्माण की निम्न प्राथमिकता ने सिंचाई क्षमता के सृजन को प्रभावित किया। संपूर्ण परियोजना की 85,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता विकसित करने की आयोजना/रूपांकन के विरूद्ध, डब्ल्यू.आर.डी. द्वारा केवल 30,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता विकसित की जा सकी और 2016–17 के दौरान 20,256 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जा सका।

अनुशंसा

जल संसाधन विभाग को पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहरों की वितरण प्रणाली का निर्माण समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए तथा मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली के साथ–साथ क्रियान्वयन के लिए अनुबंध में समुचित शर्त को शामिल न करने के लिए उत्तरदायित्व तय करना चाहिए।

(कण्डिका 3.1.3.2)

ठेका प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण

टर्नकी ठेकेदारों को कृत कार्य की विस्तृत मापों को माप–पुस्तिका में प्रविष्ट किए बिना भुगतान किए गए, जो कि मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था ।

अनुशंसा

जल संसाधन विभाग को टर्नकी ठेकों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छुपी हुई मदों सहित कार्यों की विस्तृत मापों को माप पुस्तिकाओं में प्रविष्ट किया गया है तथा ठेकेदारों को उचित सत्यापन के बिना भुगतान पारित नहीं होना चाहिए।

(कण्डिका 3.1.4.1)

मुख्य अभियंता ने अनधिकृत रूप से तीन टर्नकी ठेकों में, ठेकेदारों के पक्ष में भुगतान अनुसूची को संशोधित किया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 13.41 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। अनुबंध की शर्तों और दर अनुसूची के प्रावधानों का अनुपालन

नहीं करने के फलस्वरूप ठेकेदारों को अदेय वित्तीय लाभ हुए और राशि ₹ 14.11 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

अनुशंसा

ठेकेदारों के प्रति अनुचित पक्ष लेने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध डब्ल्यू.आर.डी. को उचित विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए।

(कण्डिकाएं 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.4.4, 3.1.5.1 एवं 3.1.5.3)

लेखापरीक्षा ने अवमानक तथा दोषपूर्ण कार्यों को भी देखा जो न तो ठेकेदारों द्वारा और न ही डब्ल्यू.आर.डी. द्वारा सुधारे गए थे।

अनुशंसा

डब्ल्यू.आर.डी. को दोषों का सुधार निर्धारित अवधि के अंदर करने से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन बारीकी से सुनिश्चित करना चाहिए।

(कण्डिका 3.1.5.2)

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली में निर्धारित अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे। फलस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ मूल्य के हार्ड रॉक को कार्यस्थल सामग्री लेखे में लेखाबद्ध नहीं किया गया। निष्पादन सुरक्षा के लिए ₹ एक करोड़ की बैंक गारंटी नवीनीकृत नहीं किए जाने से ठेका रद्द करने पर डब्ल्यू.आर.डी. निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त नहीं कर सका।

अनुशंसा

जल संसाधन विभाग को मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के अंतर्गत निर्धारित अभिलेखों का संधारण न करने और बैंक गारंटी की अवधि में वृद्धि में असफलता के लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना चाहिए।

(कण्डिका 3.1.6.1)

(ii) लेखापरीक्षा कण्डिकाएं

लेखापरीक्षा ने गम्भीर क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कमियाँ प्रतिवेदित की हैं जो राज्य शासन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा (आठ कण्डिकाओं) में दर्शाया गया है। ये अवलोकन नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने से संबंधित हैं, जिनमें औचित्य की लेखापरीक्षा, पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय और पर्यवेक्षण/शासन की विफलताओं से सम्बन्धित प्रकरण हैं, जो नीचे बताए गए हैं:

वन विभाग

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन व योजना प्राधिकरण (राज्य कैम्पा) में पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बावजूद 'वार्षिक संचालन योजना' में राजीव सागर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों को शामिल करने में देरी की, जिसके परिणामस्वरूप वनीकरण कार्य शुरू होने में विलंब हुआ और इसकी लागत में ₹ 2.00 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कण्डिका 3.2.1)

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

उद्यानिकी और कृषि वानिकी संचालनालय ने तीन उद्यानिकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को धन की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना धन जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2017 तक ₹ 10.63 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही, इसके अतिरिक्त ₹ 3.85 करोड़ का वसूल न किया गया ब्याज इन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अव्ययित शेष पर अर्जित किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने दो योजनाओं के अंतर्गत एजेंसियों से ₹ 8.92 करोड़ की अव्ययित राशि वसूल की।

(कण्डिका 3.2.2)

उद्यानिकी और कृषि वानिकी संचालनालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर म.प्र. राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (एम.पी.एस. सी.डी.एफ.एल.) को ₹ एक करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी की। इसके अतिरिक्त, मार्च 2014 से मई 2015 के दौरान वित्तीय सहायता की बाद की किश्तों को जारी करने से पहले उपयोग सुनिश्चित करने में संचालनालय की विफलता के कारण एम.पी.एस.सी.डी.एफ.एल. के पास अप्रयुक्त निधि में ₹ 2.97 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कण्डिका 3.2.3)

नर्मदा घाटी विकास विभाग

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने वितरिका प्रणालियों सहित नागोद शाखा नहर के कार्य में ठेकेदार द्वारा किए गए विलंबों के लिए ₹ 13.14 करोड़ की शास्ति अधिरोपित नहीं की। अनुबंध का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को ₹ 2.30 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम भी प्रदान किया गया था, इसके अतिरिक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ₹ 2.17 करोड़ का ब्याज भी वसूल नहीं किया गया था।

(कण्डिका 3.2.4)

जल संसाधन विभाग

वृहद परियोजना नियंत्रण मण्डल के निर्देशों के अनुपालन में पूर्व–योग्यता दस्तावेजों का सत्यापन करने में मुख्य अभियंता (धसान केन कछार, सागर) की विफलता के कारण पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के मिट्टी–बांध के निर्माण का अनुबंध एक अयोग्य ठेकेदार के साथ हुआ। बाद में अनुबंध को समाप्त कर दिया गया और कार्य हेतु पुनः निविदा के परिणामस्वरूप ₹ 11.08 करोड़ की अतिरिक्त लागत आयी, जिसमें से ₹ 7.47 करोड़ की अतिरिक्त लागत, कार्य पर मार्च 2018 तक व्यय की जा चुकी थी।

(कण्डिका 3.2.5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्यों के अनुबंध करने से पहले मात्रा के देयक (अनुबंध के जी–शेड्यूल) में संशोधन सुनिश्चित करने में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई की विफलता के कारण एम–10 ग्रेड नहर लाइनिंग के क्रियान्वयन में ₹ 1.34 करोड़ की अतिरिक्त लागत आयी, जिसका एम–15 ग्रेड नहर लाइनिंग के लिए लागू उच्चतर दर से भुगतान किया गया था।

(कण्डिका 3.2.6.1)

निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) के प्रकाशन से पहले पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्यों के तकनीकी अनुमानों को अंतिम रूप देने में मुख्य अभियंता (धसान केन कछार, सागर) की विफलता के परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन के दौरान अनुमानित मात्रा में सारभूत वृद्धि हुई। बाद में कार्य के एक भाग को ठेकेदार से

वापस ले लिया गया और पुनः उच्चतर लागत पर दूसरे ठेकेदार को सौंपा गया, जो ₹ 6.49 करोड़ के अतिरिक्त संविदात्मक दायित्व में परिणित हुआ।

(कण्डिका 3.2.6.2)

तवा परियोजना और बारना परियोजना के सीमेंट कॉंक्रीट लाइनिंग के कार्यों में नहर के मिट्टी कार्य के लिए लीड सहित गलत दरों को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.05 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कण्डिका 3.2.7)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ने ठेकेदार को हुए भुगतान को, बहुती नहर निर्माण के अनुबंध के अंतर्गत भुगतान अनुसूची के अनुरूप विनियमित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए बिना ठेकेदार को ₹ 153.25 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(कण्डिका 3.2.8)